[Shri R. K. Chaudhuri]

एक नये समाज का ढांचा रिकास्ट कर के बनाया जाय जिस में कि जैसे आज आप आर्थिक आधार पर अछूतों या पिछड़े लोगों को कुछ सुविधायें देते हैं वैसे ही यह भी कर सकते हैं कि समाज को आप इस तरह से बना दें कि जिस में कि आर्थिक दृष्टि से ऊंचे लोगों का एक क्लास हो और बाकी के जो नीचे के लोग हैं उन का दूसरा क्लास बना दें और उन गरीब लोगों को आप जो इमदाद दे सकते हैं वह जरूर दें। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि खाली कुछ दबे हुए लोगों को ही इमदाद दी जाय या रिजर्वेशन दिया जाय। मैं तो यह कहता हूं कि जितने भी पिछड़े लोग हैं, उन सब को ही रिजर्वेशन दिया जाय और सुविधायें दी जायें। इस में हमारे अछूत भाइयों को यह डर नहीं होना चाहिये कि अगर यह बिल पास हो जायगा तो उन की जो अहमियत है या उन का जो रिजर्वेशन है वह खत्म हो जायेगा। दूसरे लोगों ने इस बिल के विरुद्ध बोलते हुए यह सन्देह प्रकट किया कि अगर यह बिल पास हो जायेगा तो भी लोगों के दिलों में यह छुआ छूत की भावना बाकी रह जायगी। मैं कहता हूं कि पहले इस बिल को तो पास होने दीजिये, जो दिलों से इस बात के निकलने की बात है वह तो आप फिर भी कर सकते हैं। इस बिल के पास होने के बाद भी लोगों के दिल से इस छुआ छूत को निकालने की बात आप कर सकते हैं। लेकिन पहले जिस भावना से यह बिल लाया गया है उस का तो स्वागत कीजिये। हमारे भाइयों ने इस बिल को इस लिये अपोज किया कि इस की लैंगवेज अच्छी नहीं है। वह इसकी लैंगवेज को दुरुस्त कर सकते हैं। इस के लिये एमेन्डमेंट ला सकते हैं और मेरे ख्याल से डाभी जी उन ऐमेन्डमेंट्स को खुशी के साथ स्वीकार भी कर लेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं कहता हूं कि सरकार को चाहिये कि इस विधेयक को स्वीकार करे और स्वीकार ही न करे बल्कि पास होने के बाद पूरी तरह से उस का पालन करने में लग जावे।

---

5 P.M.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 97 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Hindu Minority and Guardianship Bill, 1955, which has been passed as amended by the Rajya Sabha at its sitting held on the 7th April, 1955."

HINDU MINORITY AND GUARDIANSHIP BILL

Secretary: Sir, I lay the Hindu Minority and Guardianship Bill, 1955, as passed by the Rajya Sabha, on the Table of the House.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, the 16th April, 1955.